

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 79 (App.) /

बिलासपुर, दिनांक: 20 नवम्बर, 2020

II-14-1/2018 (Comp. Prog.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थीगण : -

स. क्र.	नाम (श्री / श्रीमती / कु.)	पिता/पति का नाम (श्री)	पता	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
1	NARESH KUMAR CHOUDHARY	GANGA PRASAD CHOUDHARY	HOUSE NO. 17, PHASE-2, KHUSHI ENCLAVE, AMLIDIH, RAIPUR (C.G.) - 492006.	UR
2	ANUPAM DUNG DUNG	TERCITIUS DUNG DUNG	MILLAN CHOWK, TIGORE COLONY, JASHPUR (C.G.) - 496331	ST

को कम्प्यूटर प्रोग्रामर (Computer Programmer) के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल-12 (56100-177500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

- (1) परीक्षा अवधि पर उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उक्त चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का क्रमशः 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा परन्तु उक्त परीक्षा अवधि में उन्हें स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर एवं उन्हें सेवा या पद पर स्थाई किये जाने के पश्चात् उनका वेतन उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जावेगा।
- (2) परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परीक्षा पर माना जायेगा।
- (3) परीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(Handwritten Signature)
20.11.2020

